



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 24/2026/D-49

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 280625 दिनांक 03/02/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
---------	--------------	---------------------------	---------------	------------------	--	--------------	-------------------------------	----------------------------------



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

1	Sulochana Joshi W/o Shiv Dayal Joshi	श्री शिव दयाल जोशी पुत्र श्री कालीचरन जोशी	85	120.00 SQ. METER	JDA	KALPNA NAGAR Sector/Block- B	Name Transfer	जविप्रा की आवासीय योजना कल्पना नगर के भूखण्ड सं. बी-85 क्षेत्रफल 120 व.मी. का आवंटन पत्र श्री शिव दयाल जोशी पुत्र श्री कालीचरन जोशी को दिनांक 15.05.2006 को जारी किया गया। श्री शिव दयाल जोशी पुत्र श्री कालीचरन जोशी की मृत्यु दिनांक 02.07.2021 को होने के पश्चात दिनांक 03.02.2026 को रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र द्वारा श्री योगेश कुमार जोशी पुत्र श्री शिव दयाल जोशी एवं श्रीमती अर्चना जोशी पुत्री श्री शिव दयाल जोशी पत्नी श्री विष्णु रूथला द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड में अपनी हिस्सेदारी का हकत्याग अपनी माताजी श्रीमती सुलोचना जोशी पत्नी श्री शिव दयाल जोशी के पक्ष में कर दिया गया है। श्रीमती सुलोचना जोशी पत्नी श्री शिव दयाल जोशी द्वारा नाम हस्तानांतरण हेतु आवेदन किया है।
---	---	--	----	---------------------	-----	---------------------------------------	------------------	--



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Sulochana Joshi W/o Shiv Dayal Joshi को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |